निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 73/2023
दायरा दिनांकः—09.11.2023
निर्णय दिनांकः— 20.5.25

उनवान

1. जगदीश पुत्र गंगाराम आयु 45 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम पचपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र भंवरलाल आयु 60 वर्ष जाति लुहार निवासी ग्राम पचपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये हल्का पटवारी पचपाडा तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 20.5.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री दौलतराम मीना — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल नानूखेड़ी खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 43 रकबा 2.0358 हैक्टयर स्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 एवं अप्रार्थी मूलचंद का हिस्सा 1/4 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, इसी प्रकार माल हफीजपुरा में खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 50 रकबा 1.6312 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 51 रकबा 0.2150 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.8462 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसमें भी प्रार्थी का हिस्सा 1/4 अप्रार्थी मूलचंद का हिस्सा 1/4 स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी मूलचंद में आज से करीब 20 वर्ष के लगभग का समय हो गया एक समझौता मौखिक हुआ जिसके तहत् प्रार्थी जगदीश का हिस्सा जो हफीजपुरा की जमीन में स्थित है, उसको अप्रार्थी मूलचंद रखेगा और माल नानूखेड़ी की जमीन में अप्रार्थी मूलचंद का हिस्सा जगदीश रखेगा, और दोनो का हिस्सा बराबर था. इसलिए रकबा भी बराबर था, और स्थिति में दोनों वादी एवं अप्रार्थी मूलचंद ने जमीन की अदला बदली कर ली थी, क्योंकि जगदीश के हिस्से की रजिस्ट्री मूलचंद के नाम नहीं हो सकती थी। इसलिए मौखिक समझौते के तहत् जमीन का सेटलमेन्ट करके काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी जगदीश ने मूलचंद के हिस्से सम्पूर्ण सहित माल नानूखेड़ी की जमीन जो उबड़—खाबड़ थी, जिसे लेवलिंग कराकर टूयूबवैल लगाकर प्रार्थी ने ऊपजाउ बनाकर कीमती बनाया, अब अप्रार्थी मूलचंद सरकारी कर्मचारीयों का सहारा लेकर प्रार्थी के पास स्थित हिस्से 1/4 को जबरन कब्जे से बेदखल करके बदले में ली गई. ग्राम हफीजपुरा की जमीन नहीं देकर हड़पना चाहता है, क्योंकि प्रार्थी के द्वारा दिया गया हिस्सा सहित हफीजपुरा की जमीन अप्रार्थी ने रहन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रखी है, जिस पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी मूलचंद को र्थी के पास काबिज काश्त में जो नानूखेड़ी के माल की जमीन में हिस्सा 1/4 को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है, तथा प्रार्थी को सरकारी कर्मचारीयों का उपयोग करके कब्जा से बेदखल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मूलचंद अप्रार्थी को दो तरफा लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। सरकारी कर्मचारीयों को जमीन के सेटलमेन्ट की जानकारी नहीं होती है, और अप्रार्थी मूलचंद मौखक समझौते की जानकारी छुपाता है, जमीन की अदला–बदली की बात को भी सरकारी कर्मचारीयों से छीपाता है. ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी प्रार्थी को मौके से पैमाईश का बहाना बनाकर कब्जे से बेदखल करने के अधिकार नहीं रखते है। जहां मौखिक समझौता हो जाता है, वहां उसकी पालना अनुसार ही काबिज काश्त भूमि का स्वामित्व हस्तान्तरण योग्य हो जाता है। अप्रार्थी नम्बर 2 व 3 को इसलिए पार्टी बनाया गया है. कि बार–बार प्रार्थी को जबरन जमीन छुड़ाकर अप्रार्थी मूलचंद को सुपुर्द करने की धमकिया दिनांक 1/11/2023 को दी गई है, जो प्रार्थना पत्र का कारण हेतुक उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नानूखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 78 नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 51 नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 54 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हफीजपुरा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2069 पेश की गई।

बहस अभिमाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नानूखेडी एवं हफीजपुरा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1के मध्य लगभग 20 वर्ष पूर्व एक मौखिक समझौता हुआ जिसके तहत प्रार्थी जगदीश का हिस्सा हफीजपुरा की जमीन में है उसकों अप्रार्थी मूलचन्द रखेगा और नानूखेडी की भूमि में अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा है उसे प्रार्थी जगदीश रखेगा। दोनो का हिस्सा व रकबा बराबर था दोनो ने भूमि की अदला बदली कर ली जगदीश के हिस्से की रजिस्ट्री मूलचन्द के नाम हो सकती हे परन्तु मूलचन्द के हिस्से की रजिस्ट्री जगदीश के नाम नही हो सकती क्योकि जगदीश अनुसूचित जाति का व्यक्ति है इसलिए मौखिक समझौता के आधार पर भूमि काश्त करतें चले आ रहे है प्रार्थी ने अप्रार्थी के हिस्से की भूमि में ट्यूबवैल लगाकर काश्त करता चला आ रहा है अप्रार्थी क्रम 1 उक्त बदले में दी गई जमीन को वापस हडपना चाहता है तथा प्रार्थी को बदले में ली गई भूमि से बेदखल कर कब्जा लेना चाहता है प्रार्थी को कब्जा लेने का कोई अधिकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिमाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नानूखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 78 के अनुसार जगदीश एवं अप्रार्थी क्रम 1 मूलचन्द का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 51 के अनुसार प्रार्थी जगदीश एवं अप्रार्थी मूलचन्द का हिस्सा 1/4, 1/4 दर्ज है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मं

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

एवं अप्रार्थी के मध्य जमीन का हस्तान्तरण आर0टी0एक्ट के तहत नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

= क्रियात्मक आदेश =

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा